अधिकारी है।

6 यह है कि, वादीगण के पिता रामुराम उर्फ रामाराम मृतका खातेदार अनुडी उर्फ आसुडी का विधिक श्रेणी वारिसान होने की वजह से संवत् 2020 की पैमाईश के दौरान, पैमाईश अधिकारियों ने मौजा चैनार के खसरा सख्या 262 रकबा 2.09 बीघा की खातेदारी आसुडी बेवा तुलछा के स्थान पर उनकी मृत्यु पर उपरान्त उनके विधिक वारिस रामु उर्फ रामाराम वल्द तुलछा जरूर दर्ज किया गया है। लेकिन पैमाईश अधिकारियों ने रामु की वल्दीयत कानाराम की जगह तुलछा गलत दर्ज कर त्रुटि की है। जिसका त्रुटि का संशोधन रामु वल्द कानाराम माली किया जाना न्यायसंगत है।

7 यह है कि, मौजा चैनार के साबिका खसरा संख्या 227 वर्तमान खसरा संख्या 262 रकबा 2.09 बीघा पर कब्जा काश्त संवत् 2010 से निरन्तर वादीगण के पिता रामु वल्द कानाराम के नाम से काश्त चली आ रही है। एवं वादीगण के पिता रामु के मरने के पश्चात् उनके वारिसान वादीगण का कब्जा काश्त संयुक्त रूप से चला आ रहा है। लेकिन वक्त सेटलमेंट पेमाईश के सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त खसरा संख्या 262 में खातेदार की वल्दीयत रामु वल्द काना माली के नाम से खातेदारी में शुद्धीकरण किया जाना न्यायसंगत है।

8 यह है कि, बिनाय दावा दिनांक 3.3.2016 को जब प्रतिवादी के समझदार कर्मचारी व अधिकारियों ने रेकर्ड दुरूस्ती से इंकार कर म्युटेशन वादीगण के नाम से मना कर दिया। तब बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी बमुकाम शहर नागौर तहसील व जिला नागौर में उत्पन्न हुआ है।

9 यह है कि, प्रतिवादी लैण्ड हॉल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर, को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

10 यह है कि वादग्रस्त खेत गाँव चैनार तहसील व जिला नागौर में स्थित होने से यह वाद न्यायालय हाजा को सुनने का पूर्ण हक अधिकार हासिल है।

11 यह है कि, वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण व विरूद्ध प्रतिवादी निर्णय व डिक्री जारी करने की इस्तदुआ करता है कि –

(अ) यह है कि वादीगण के पिता का नाम रामु उर्फ रामाराम पुत्र तुलछा के स्थान पर रामु उर्फ रामाराम वल्द कानाराम जरिये शुद्धि आदेश दर्ज करवाने की घोषणा करावे।

(ब) यह है कि उपरोक्त रेकर्ड दुरूस्ती अविलम्ब करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी हेतु तहरीर आदेश जारी करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नही होने से दिनांक 02.11.2016 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादिया स्वयं एवं गवाह धर्माराम व रामनिवास के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 7 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील ने दौराने बहस बताया कि मौजा चैनार के साबिका खसरा नम्बर 227 वर्तमान खसरा नम्बर 262 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा पर कब्जा काश्त संवत् 2010 से निरन्तर वादीगण के पिता रामू वल्द कानाराम के नाम से काश्त चली आ रही है। वादीगण के पिता रामू के मरने के पश्चात उनके वारिसान वादीगण का कब्जा काश्त संयुक्त रूप से रहता चला आ रहा है लेकिन वक्त सेंटलमेंट पैमाईश के सेंटलमेंट अधिकारियो ने उक्त खसरा संख्या 262 में खातेदारी की वल्दियत रामू वल्द काना के स्थान रामू वल्द तुलछा अंकित कर दिया। अतः वर्तमान खसरा नम्बर 262 मे खातेदार रामू पुत्र तुलछा की जगह रामू वल्द काना सहित दर्ज करावे। पत्रावली में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं रिकॉर्ड से वादी के वाद की ताईद होती है। ग्राम चैनार के खसरा नम्बर 262 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में दर्ज खातेदार रामू पुत्र तुलछा की जगह रामू पुत्र काना दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) नागौर

निर्णय आज दिनांक 21.11.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) नागौर

—: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर :—

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर
इजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस.

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

1. पतासी बाई बेवा स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम
2. कालुराम पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम
3. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम
4. जड़ावबाई पुत्री स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम धर्मपत्नी भींवराज
5. प्रभुराम पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम
6. पापालाल पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम
7. हीरालाल पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम
8. पन्नालाल पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम

जातियान माली निवासी चैनार मौहल्ला सांखला बास, तहसील व जिला नागौर।

राजस्व वाद 26/2016 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते, इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है ग्राम चैनार के खसरा नम्बर 262 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में दर्ज खातेदार रामू पुत्र तुलछा की जगह रामू पुत्र काना दुरूस्त किया जाता है। .... लीज .... मुबलिक .... बाबत .... खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर .... को अदा करें। बसीब्त तेरे .... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....21.... माह ....11.... सन् 20.16

दस्तखत
ओहदा
सहायक कलक्टर (SDO) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

- : : न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर : :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 26/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पतासी बाई बेवा स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम 2. कालुराम पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम 3. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम 4. जड़ावबाई पुत्री स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम धर्मपत्नी भींवराज 5. प्रभुराम पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम 6. पापालाल पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम 7. हीरालाल पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम 8. पन्नालाल पुत्र स्व. श्री रामु उर्फ रामाराम जातियान माली निवासी चैनार मौहल्ला सांखला बास, तहसील व जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक :– 21.11.2016

वादीगण की ओर से निम्न वाद प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, वादीगण के पिता रामु उर्फ रामाराम माली के नाम मौजा चैनार तहसील व जिला नागौर में वर्तमान खसरा संख्या 262 रकबा 2.09 बीघा का खेताय स्थित है। चालु जमाबंदी दावा के साथ संलग्न है। वादीगण कि पिता रामु उर्फ रामाराम का स्वर्गवास दिनांक 22.09.2003 को हो चुका है।

2 यह है कि, वादीगण के स्व. पिता रामु के नाम मौजा चैनार के साबिका खसरा संख्या 227 रकबा 4.16 बीघा का 1/2 हिस्सा कृषि खेताय संवत् 2010 से कब्जा काश्त गिरदावरी चली आ रही है। जिस खसरान का वर्तमान खसरान संख्या 262 है।

3 यह है कि, वादीगण के पिता रामु उर्फ रामाराम के चाचा तुलछा थे। चाचा तुलछा की मृत्यु के पश्चात मौजा चैनार के साबिका खसरा संख्या 227 की खातेदारी उसकी पत्नी अनुडी उर्फ आसुडी का नाम खाते में दर्ज हुई है। लेकिन उसकी काश्तकार के रूप में रामु वल्द कान्ता दर्ज किया हुआ है जिसका तात्पर्य यह है कि अनुडी खातेदार की जमीन का काश्तकार रामु वल्द कान्ता ही था।

4 यह है कि, वादीगण के पिता रामु उर्फ रामाराम के चाचा तुलछाराम एवं चाची अनुडी उर्फ आसुडी नाओलाद होने की वजह से वादीगण का पिता रामु उर्फ रामाराम उनका सगा भतीजा (यानि सगा भाई कानाराम का लडका), उनका विधिक श्रेणी का वारिस होने की वजह से उनकी सेवा चाकरी करता था। एवं उनके पास ही रहता था। रामु उर्फ रामाराम को उनके सगा चाचा तुलछा व सगी चाची अनुडी उर्फ आसुडी ने कभी गोद नहीं लिया था। बल्कि वादीगण के पिता रामु उर्फ रामाराम विधिक श्रेणी का वारिस होने से उनके साथ रहकर सेवा चाकरी करता आया था। एवं उनकी मृत्यु उपरान्त सारा क्रियाक्रम समाज की रीति अनुसार वादीगण के पिता रामाराम ने ही किया था। इसलिए साबिका खसरा संख्या 227 वर्तमान खसरा संख्या 262 रकबा 2.09 बीघा कृषि खेताय के खातेदार अनुडी बेवा तुलछा के स्थान पर उनकी मृत्यु उपरान्त उसके स्थान पर विधिक श्रेणी के वारिस रामु वल्द तुलछा का नाम खातेदारी में सम्वत 2020 की पेमाईश के दौरान दर्ज हो गया। क्योंकि वादीगण के पिता रामु अपनी चाची अनुडी उर्फ आसुडी बेवा तुलछा का विधिक श्रेणी का वारिस होने से उक्त खेताय का अधिकारी था।

5 यह है कि, वादीगण के पिता रामु के पिता का नाम काना माली था। तुलछा माली कानाराम माली का सगा छोटा भाई था। तुलछाराम माली व उसकी पत्नी अनुडी उर्फ आसुडी दोनों के औलाद नहीं होने से वादीगण के पिता रामु को अपने पास सेवा चाकरी हेतु रखते थे। लेकिन उन्होंने वादीगण के
पिता रामु को गोद नहीं लिया था। बल्कि वह उनके विधिक श्रेणी के वारिस थे। वादीगण के पिता रामु ने अपने चाचा तुलछा व चाची अनुडी उर्फ आसुडी की सेवा चाकरी की थी एवं उनकी मृत्यु उपरान्त समाज के रीतिरिवाज अनुसार उनका क्रियाकर्म भी किया था। इसलिए साबिका खसरा संख्या 226 की कृषि खेताय खातेदार अनुडी बेवा तुलछा के स्थान पर वक्त पेमाईश संवत् 2020 में वर्तमान खसरा संख्या 262 रकबा 2.09 बीघा मौजा चैनार की खातेदारी रामु वल्द तुलछा के नाम दर्ज हुई थी। क्योंकि रामु अनुडी उर्फ आसुडी का विधिक श्रेणी का वारिस था। लेकिन इस खातेदारी में रामु की वल्दीयत रामु वल्द काना की जगह रामु वल्द तुलछा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में कानुनी त्रुटि की है। इसलिए राजस्व रेकर्ड के वर्तमान खसरा संख्या 262 में रामु वल्द तुलछा के स्थान पर रामु वल्द काना दर्ज किया जाना न्यायासंगत है। उक्त विवादित खेताय पर वादीगण के पिता रामु का कब्जा काश्त संवत् 2010 से निरन्तर चला आ रहा है। उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण उक्त रेकर्ड दुरूस्ती करवाकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने के कानुनी हक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) नागौर